



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद


संख्या-03 (लो0सू0अ0)/2023-24

श्री मनोज कुमार, विज्ञान शिक्षक, पता-श्री जवाहर नवोदम विद्यालय, अन्नराज नवाडीह, गढ़वा,


झारखण्ड-822114

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
06.04.2023	<p>श्री मनोज कुमार, विज्ञान शिक्षक, पता-श्री जवाहर नवोदम विद्यालय, अन्नराज नवाडीह, गढ़वा, झारखण्ड-822114 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-20.03.2022 इस कार्यालय में दिनांक-28.03.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।</p> <p>अपीलकर्ता श्री मनोज कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-27.01.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम-3 (परिशिष्ट-1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में ₹ 10/- (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है। अतः अपीलार्थी से अपील शुल्क अथवा गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का साक्ष्य की माँग करें ताकि उनका अपील आवेदन स्वीकृत कर अग्रतर कार्रवाई की जा सके।</p> <p>सभी संबंधित को सूचित करें तथा अभिलेख पुनः 27.04.2023 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p>

अपील वाद संख्या-03 (लो०सू०अ०)/2023-24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
27.04.2023	<p>दिनांक-06.04.2023 को पारित आदेश आलोक में अपीलार्थी से अपील शुल्क अप्राप्त है, जबकि उन्हें उक्त आदेश की प्रति इस सचिवालय के ज्ञापांक-561 दिनांक-10.04.2023 के माध्यम से भेजी गयी थी, चूंकि बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम-3 (परिशिष्ट-1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में रु 10/- (दस रूपए) देय है।</p> <p>लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उन्होंने सूचित किया है कि पत्रांक-आर.टी.आई.(स्था०)-18/2023-24/रा.स.(III) दिनांक-02.03.2023 के माध्यम से अपीलार्थी को उनके आवेदन दिनांक-20.01.2023 पर की गयी कार्रवाई की सूचना भेजी जा चुकी है तथा इसके अतिरिक्त कोई सूचना दिया जाना संभव नहीं है।</p> <p>उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>तदनुसार सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;">  विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार </p>	